श्रम संवाद

त्रैमासिक

वर्ष-1, अंक- 03, अक्टूबर से दिसम्बर, 2025

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

वर्ष-1, अंक - 03
त्रैमासिक, अक्टूबर से दिसम्बर, 2025

एक नजर में

बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कर कमलों से श्रम संसाधन विभाग के 'बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' (BOCW बोर्ड) द्वारा वार्षिक वस्त्र सहायता योजनान्तर्गत के तहत कुल 802 करोड़ 46 लाख 45 हजार रुपए का अंतरण बिहार के 16 लाख से ज्यादा श्रमिकों के खाते में किया गया।

संरक्षक
श्री संतोष कुमार सिंह
माननीय मंत्री,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार

प्रधान संपादक
श्री दीपक आनन्द
सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार

संपादक
श्री आलोक कुमार
विशेष सचिव, श्रम संसाधन विभाग

कार्यकारी संपादक:
श्री रोहित राज सिंह, उपश्रमायुक्त (बोर्ड)
श्री रवि आनंद, संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण
डॉ० गणेश कुमार झा, उप-निबंधक (श्रमिक संघ)
श्री श्याम प्रकाश शुक्ल, उप निदेशक, नियोजन
श्रीमती कुमारी शिशिर भारती, उप सचिव (सरकार पक्ष)
श्री तरूण कुमार रंजन, मीडिया प्रभारी
श्री अतुल सुमन, मिशन प्रबंधक (आई.टी.)

श्रम संवाद के विषय

कामगारों के लिए बिहार सरकार के नए प्रावधान	01
बिहार के युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में "मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना" एक क्रांतिकारी पहल	03
देश में कौशल विकास का प्रतीक बनेगाः "जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय"	04
बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएँ	05
कॅरियर प्रबंधन में नवीन तकनीक का प्रयोगः ऑनलाइन पोर्टल एवं कृत्रिम बुद्धिमता संचालित प्लेटफॉर्म	07
"कर्ज से मुक्ति और बेटी की खुशियों में मुस्कान" अनीता देवी की कहानी	08
बिहार के हुनरमंद युवाओं के लिए "मेगा जॉब फेयर 2025" लेकर आया रोजगार की बहार	09
श्रम को मिला सम्मान	10
स्वच्छ जीवन, सुरक्षित भविष्य : WASH क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार की संभावनाएं	11
निर्माण श्रमिकों के लिए पूर्व शिक्षा की मान्यता कार्यक्रम (Recognition of Prior Learning) अन्तर्गत कौशल उन्नयन	13
सरकारी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्वचालित सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन की सुविधा	14
प्रधान संपादक की कलम से... मेगा स्किल सेंटर-रोजगार व स्वरोजगार हेतु बिहार के युवाओं के लिए एक नई पहल	15
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना	16
पटना स्थित महाविद्यालयों में आयोजित किया गया कॅरियर मार्गदर्शन सेमिनार	17
अर्धन्यायिक कार्यवाही (Quasi-Judicial Proceeding)	18
सेंटर ऑफ एक्सलेंस योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं NAFED-08 में दिखाया कौशल	21
मेरी सफलता की कहानी	22
बिहार में लागू न्यूनतम मजदूरी की दर	23
गैर-सरकारी संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन	24
समाचार-सार	25
श्रमिक का साथी - श्रम संसाधन विभाग	28

बिहार सरकार

दीपक आनन्द, भा.प्र.से.
सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार

संपादकीय

विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और गतिविधियों का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता हुआ "श्रम संवाद" का यह तृतीय अंक आपके सम्मुख है।

जुलाई, 2025 में संपन्न बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान विभाग से संबद्ध 4 महत्वपूर्ण विधेयकों, जननायक भारतरत्न कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, 2025; बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) विधेयक, 2025; कारखाना (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2025 एवं बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) विधेयक, 2025 का पारित होना एक उल्लेखनीय उपलब्धि रही।

नवगठित कौशल विश्वविद्यालय प्रदेश के युवाओं को आधुनिक कौशल, उद्यमिता तथा व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। यह संस्थान परंपरागत प्रशिक्षण से आगे बढ़कर तकनीकी तथा बाजार–उन्मुख कौशल को प्रोत्साहित करेगा। स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि, पशुपालन, पर्यटन एवं स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर यह विश्वविद्यालय राज्य की आर्थिक संरचना को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा।

गिग कामगारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार ठोस कदम उठा रही है। इसके लिए बिहार सरकार एक कल्याण बोर्ड का गठन करेगी, जिसकी अध्यक्षता श्रम संसाधन मंत्री करेंगे। योजनाओं के सुचारु संचालन हेतु विशेष निधि उपलब्ध कराई जाएगी तथा एग्रीगेटर/प्लेटफॉर्म पर कार्यरत गिग कामगारों को दिए जाने वाले Pay-Out पर 2 प्रतिशत उपकर अधिरोपित किया जाएगा।

यह विश्वास है कि विभाग के सतत प्रयास युवाओं एवं श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। विभाग द्वारा किए जा रहे विविध उपक्रमों की जानकारी पहुँचाने में यह पत्रिका भी अपनी रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करती रहेगी ।

(दीपक आनन्द)

कामगारों के लिए बिहार सरकार के नए प्रावधान

बिहार सरकार ने विधानसभा के मॉनसून सत्र में श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा एवं कार्य की दशाओं से संबंधित तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया है, आइये जानते हैं इन विधेयकों के विषय में–

1. बिहार प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) अधिनियम, 2025

गिग कामगारों के समाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने आप में राज्य सरकार का यह अनूठा प्रयास है। इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य में प्लेटफ़ॉर्म–आधारित गिग कामगारों के लिए पहचान, पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण एवं शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करना है। इसके तहत कामगारों का पंजीकरण, कल्याण बोर्ड की स्थापना, कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा, शिकायत निवारण के उपाय और दंडात्मक प्रावधान सम्मिलित हैं। यह विधेयक गिग कामगारों की पारंपरिक उद्योग से अलग संविदात्मक प्रकृति के काम की विशिष्टता को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

बिहार सरकार गिग कामगारों के लिए एक कल्याण बोर्ड बनाएगी, जिसका मुख्यालय पटना में होगा। इसमें श्रम संसाधन विभाग के मंत्री अध्यक्ष के रूप में होंगे, साथ ही विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, श्रम आयुक्त, केंद्रीय श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधि, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं गिग कामगार एवं एग्रीगेटर/प्लेटफ़ॉर्म के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

सभी एग्रीगेटर/प्लेटफ़ॉर्म को अधिनियम के प्रवर्तन से 60 दिनों के भीतर राज्य बोर्ड के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कामगार को पंजीकरण के तुरन्त बाद एक विशेष पहचान संख्या (यूआईडी) मिलेगी। कामगार किसी भी एग्रीगेटर/प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। योजनाओं का लाभ देने के लिए राशि की व्यवस्था एग्रीगेटर/प्लेटफ़ॉर्म पर कामगारों को दिए जाने वाले Pay-Out के मूल्य पर अधिकतम 2% उपकर लगाकर किया जायेगा ।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गिग कामगारों की दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को चार लाख रुपये एकमुश्त अनुग्रह राशि मिलेगी। एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती होने पर 16,000 रुपये एवं एक सप्ताह से कम भर्ती होने पर 5,400 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर 40%–60% विकलांगता की स्थिति में 74,000 रुपये तथा 60% से अधिक विकलांगता होने पर 2.50 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। प्रत्येक महिला कामगार को गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान 90 दिनों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दर से मातृत्व लाभ का भुगतान किया जायेगा।

गिग कामगार किसी प्रकार की शिकायत होने पर ऑनलाइन या व्यक्तिगत माध्यम से श्रम संसाधन विभाग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत निवारण पदाधिकारी 30 दिनों में शिकायत का निपटारा करेंगे। इसके अतिरिक्त, कामगार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत भी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई एग्रीगेटर/प्लेटफ़ॉर्म कल्याण निधि शुल्क नहीं देता है अथवा नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल तक का कारावास या 2 लाख तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

यह अधिनियम बिहार में प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग कामगारों के विकास, सुरक्षा एवं कल्याण के लिए समग्र तंत्र प्रदान करता है। राज्य में अब इस अधिनियम के माध्यम से गिग कामगारों की आर्थिक, सामाजिक एवं कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

2. बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 2025

बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 2025 का मुख्य उद्देश्य राज्य में दुकानों और प्रतिष्ठानों में नियोजित कर्मकारों के रोजगार संबंधी नियमों, सेवा शर्तों तथा कल्याणकारी प्रावधानों को एकीकृत एवं संशोधित करना है। यह अधिनियम सम्पूर्ण राज्य में ऐसे दुकानों/प्रतिष्ठानों पर लागू होगा, जहाँ दस या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं। पुराने बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 को रद्द करते हुए नया कानून बनाया गया है, जिससे रोजगार सुरक्षा, कार्य की शर्तें, वेतन अदायगी, छुट्टियाँ और कल्याणकारी सुविधाओं का सुव्यवस्थित प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

दस या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले प्रत्येक दुकान और प्रतिष्ठान को अधिनियम लागू होने के छह माह के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकारी एक सप्ताह भीतर दुकान या प्रतिष्ठान को पंजीकृत करेंगे।

नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक कर्मचारी को नियमित समयावधि में मजदूरी दे। मजदूरी की अवधि एक माह से अधिक नहीं होगी और वेतन उस समयावधि के अंतिम दिन से सातवें कार्य दिवस के अंदर खाते में जमा करना अनिवार्य होगा। कामगारों को सभी प्रकार के भुगतान बैंक या डाकघर खाते के माध्यम से करने की बाध्यता इस अधिनियम में की गयी है। नियोक्ता को कर्मचारियों को सेवा–कार्ड, वेतन पुर्जा व अन्य जरूरी दस्तावेज समय पर प्रदान करने का दायित्व दिया गया है। महिला कर्मचारियों के साथ भर्ती, प्रशिक्षण, प्रोन्नति तथा मजदूरी में भेदभाव वर्जित किया गया है।

अधिनियम के तहत किसी व्यस्क कर्मचारी से सप्ताह में कुल अधिकतम 48 घंटे से अधिक कार्य नहीं कराया जा सकता है। दैनिक कार्य के घंटों की अवधि 9 घंटे की होगी जिसमें विश्राम अन्तराल भी शामिल होगा। दुकान/प्रतिष्ठान कर्मचारी की सहमति से दैनिक 10 घंटे और सप्ताह में 5 दिन अथवा दैनिक साढ़े ग्यारह घंटे और सप्ताह में 4 दिन काम कर सकते हैं। परंतु उन्हें ध्यान रखना होगा कि एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य लेने पर ओवरटाइम का भुगतान करना होगा। प्रत्येक कर्मचारी को वर्ष में सात दिन चिकित्सीय अवकाश तथा आठ दिन आकस्मिक अवकाश प्राप्त होगा। नियोक्ता को कार्यस्थल पर आवश्यक कल्याणकारी सुविधाएँ देनी होंगी। इसमें कर्मचारी के लिए पर्याप्त पेयजल, पुरुष एवं महिला शौचालय, यदि तीस या अधिक महिला कर्मचारी हों तो शिशु देखभाल कक्ष, प्राथमिक उपचार किट, सौ या अधिक कर्मचारियों की स्थिति में कैंटीन इत्यादि शामिल हैं।

अधिनियम का उल्लंघन करने पर दस हजार से पच्चीस हजार रुपये तक जुर्माना तथा अपराध की पुनरावृत्ति करने पर बीस हजार से पचास हजार रुपये तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है। कार्यस्थल पर दुर्घटना में गंभीर शारीरिक क्षति या मृत्यु पर छह माह तक का कारावास अथवा दो से पाँच लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

नया अधिनियम पूर्व के अधिनियम से कई मामलों में बेहतर है, जैसे–

i. पूर्व का अधिनियम केवल नगर निकाय क्षेत्रों में लागू था जबकि नया बिल सम्पूर्ण राज्य में लागू होगा। पूर्व का अधिनियम शून्य कामगारों वाले दुकान एवं प्रतिष्ठान पर भी लागू था जबकि नया बिल दस या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले दुकान एवं प्रतिष्ठान पर ही लागू होंगे।

ii. पूर्व का अधिनियम दुकानों/प्रतिष्ठानों को रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति देता है जबकि नए बिल के अनुसार दुकान / प्रतिष्ठान अब 24X7 खुल सकते हैं।

iii. पूर्व के अधिनियम में कामगारों को नकद में मजदूरी दी जा सकती थी लेकिन नए बिल में केवल बैंक खाते में मजदूरी देने का नियम बनाया गया है।

iv. पूर्व के अधिनियम में एक दिन में 9 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे कार्य करने की अनुमति थी जिसके लिए कामगार सप्ताह में 6 दिन कार्य करते थे जबकि नए बिल में कामगार कर्मचारी की सहमति से सप्ताह के कुल कार्य घंटे 48 ही रखते हुए दैनिक 10 घंटे और सप्ताह में 5 दिन अथवा दैनिक साढ़े ग्यारह घंटे और सप्ताह में 4 दिन काम का विकल्प दिया गया है।

v. पूर्व के अधिनियम में स्वास्थ्य एवं कल्याण के प्रावधान नहीं थे जिन्हें नए बिल में इन्हें भी समाहित किया गया है।

3. कारखाना (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2025

कारखाना अधिनियम, 1948 में राज्य संशोधन कार्य घंटे तय करने में लचीलापन और दंड प्रक्रिया के उपशमन को सरल बनाने के उद्देश्य से किया गया है। अब विश्राम अन्तराल सहित कार्य की अवधि को अधिकतम बारह घंटे किया गया है, बशर्ते कामगार द्वारा एक सप्ताह में किये जाने वाले कुल कार्य के घंटे 48 से अधिक न हों। अर्थात पूर्व के अधिनियम में एक दिन में 9 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे कार्य करने की अनुमति थी जिसके लिए कामगार सप्ताह में 6 दिन कार्य करते थे जबकि नए अधिनियम में कामगार कर्मचारी की सहमति से सप्ताह के कुल कार्य घंटे 48 ही रखते हुए दैनिक 10 घंटे और सप्ताह में 5 दिन अथवा दैनिक साढ़े ग्यारह घंटे और सप्ताह में 4 दिन काम का विकल्प दिया गया है। इस बात का ध्यान रखा गया है कि इसके लिए कर्मचारी की लिखित सहमति प्राप्त की जाएगी, और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य लेने की स्थिति में उसे ओवरटाइम का भुगतान किया जायेगा ।

यदि कोई कर्मचारी छह दिन के सप्ताह में किसी दिन नौ घंटे से अधिक या कुल 48 घंटे से अधिक, पांच दिन के सप्ताह में किसी दिन दस घंटे से अधिक या कुल 48 घंटे से अधिक, चार दिन के सप्ताह में किसी दिन साढ़े ग्यारह घंटे से अधिक या कुल 48 घंटे से अधिक काम करता है तो उसे ओवरटाइम के लिए अपनी सामान्य मजदूरी दर के दोगुने हिसाब से वेतन मिलेगा। तीन महीने की अवधि में ओवरटाइम की अधिकतम सीमा 75 से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है, और किसी भी ओवरटाइम के लिए कर्मचारी की लिखित सहमति अनिवार्य कर दी गई है।

संशोधन में नयी अनुसूची के रूप में जुड़ी चौथी अनुसूची में सूचीबद्ध प्रथम बार किए गए छोटे उल्लंघनों के मामले में रिपोर्ट दर्ज होने या अभियोजन से पहले/बाद में जुर्माना अदा कर उप–शमन (Compounded) करने की व्यवस्था की गयी है। यह जुर्माना कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 92 में तय अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगा। नियोजक द्वारा जुर्माना जमा करने पर उसके उपर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन यदि जुर्माना नहीं भरा जाता है तो मुकदमा जारी रहेगा।

(डॉ० गणेश कुमार झा)
सहायक श्रमायुक्त

बिहार के युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में "मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना" एक क्रांतिकारी पहल

बिहार सरकार द्वारा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, रोजगारोन्मुखी मार्गदर्शन और कार्यस्थल अनुभव देने हेतु शुरू की गई 'मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना (CM-PRATIGYA YOJNA)' राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। 'सात निश्चय–2' के अंतर्गत स्वीकृत इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजना के प्रथम चरण के लिए ₹40.69 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 2026–27 से 2030–31 तक हर वर्ष ₹129.01 करोड़ की दर से कुल ₹685.76 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं का कौशल विकास तथा उद्योग और सरकारी प्रतिष्ठानों में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है। इससे न केवल उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि उन्हें अपने भविष्य को लेकर स्पष्ट दिशा मिलेगी और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

'मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना' के अंतर्गत युवा राज्य के MSMEs, सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) और विभिन्न सरकारी संस्थानों में 3 से 12 महीने का इंटर्नशिप कर सकेंगे। यह अनुभव उन्हें उद्योग जगत की वास्तविक चुनौतियों से परिचित कराएगा और उनके कॅरियर को मजबूती देगा। इस योजना का लाभ 18 से 28 वर्ष आयु वर्ग के वे युवा उठा सकेंगे, जो 12वीं, ITI, Diploma, स्नातक या स्नातकोत्तर की योग्यता रखते हों या किसी मान्यता प्राप्त कौशल विकास कार्यक्रम या संस्थान के तहत प्रशिक्षित या प्रमाणित हों। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित 12वीं पास युवाओं को ₹4000, ITI/Diploma धारकों को ₹5000, स्नातक/स्नातकोत्तर को ₹6000 प्रतिमाह इंटर्नशिप की राशि मिलेगी। इसके अतिरिक्त, अन्य जिलों में इंटर्नशिप करने पर उन्हें ₹2000 (तीन माह तक) तथा राज्य से बाहर इंटर्नशिप करने पर ₹5000 प्रतिमाह इंटर्नशिप अवधि तक अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।

प्रथम वर्ष में योजना के तहत 5000 युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा, जबकि 2026–27 से 2030–31 तक 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप एवं प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह योजना चरणबद्ध ढंग से पूरे राज्य में लागू की जाएगी, जिससे युवाओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हो। इस योजना के तहत युवाओं को न केवल बिहार के खाद्य प्रसंस्करण, हेल्थकेयर, हॉस्पिटालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT, मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, बल्कि उन्हें राज्य से बाहर प्रतिष्ठित कंपनियों में भी कार्य करने का अनुभव प्राप्त होगा। इससे उनके ज्ञान, क्षमता और कॅरियर के दायरे में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

बिहार कौशल विकास मिशन (BSDM) के अंतर्गत इस योजना को लागू करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक टास्कफोर्स का गठन किया गया है। यह टास्कफोर्स योजना की निगरानी, मूल्यांकन और पुनः डिज़ाइन की जिम्मेदारी संभालेगी ताकि लाभार्थियों को बेहतर परिणाम मिल सके। 'मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना' न केवल एक योजना है बल्कि यह एक दूरदर्शी सामाजिक–आर्थिक बदलाव की पहल है। इससे बिहार के युवा अपने हुनर के आधार पर नौकरी, स्वरोजगार और सामाजिक योगदान में आगे आ सकेंगे। यह योजना युवाओं को "रिस्क से रिस्पॉन्सिबिलिटी" और "सीख से नेतृत्व" की ओर ले जाने वाली नई राह है, जो बिहार की बढ़ रही अर्थव्यवस्था के लिए सहचर की भूमिका निभाएगा।

(राजेश भारती)
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन

देश में कौशल विकास का प्रतीक बनेगाः "जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय"

बिहार सरकार द्वारा "जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय" की स्थापना का निर्णय एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम है। इसे 17वीं बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में सर्वसम्मति से पारित किया गया। यह विश्वविद्यालय राज्य के युवाओं को आधुनिक कौशल, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से लैस करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि भविष्य के लिए तैयार कुशल मानव संसाधन के निर्माण का केंद्र भी बनेगा।

बिहार सरकार की "सात निश्चय पार्ट–1 और पार्ट–2" योजनाएं पहले से ही कौशल विकास की नींव रख चुकी हैं। अब इन कार्यक्रमों को जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के माध्यम से एक संस्थागत उन्नयन प्रदान किया जा सकेगा। यह परिवर्तन पारंपरिक प्रशिक्षण से आगे बढ़कर आधुनिक, तकनीक–सक्षम और बाज़ार उन्मुख कौशल शिक्षा सुनिश्चित करेगा।

विश्वविद्यालय का उद्देश्य ऐसे पाठ्यक्रमों को डिजाइन और संचालित करना है जो Artificial Intelligence, Machine Learning, Blockchain, Cloud Computing, Digital Marketing, Aviation और अन्य उभरते क्षेत्रों पर केंद्रित हों। ये पाठ्यक्रम युवाओं को वैश्विक बाजार की मांगों के अनुसार तैयार करेंगे। यह विश्वविद्यालय शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक और ऑनलाइन तरीकों को अपनाकर जीवनभर सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाएगा। पूर्व शिक्षा की मान्यता (Recognition of Prior Learning - RPL), व्यावसायिक शिक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक अग्रणी भूमिका निभाएगा।

जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय न केवल प्रशिक्षण बल्कि अनुसंधान एवं नवाचार को भी प्रोत्साहित करेगा। इसे राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर समाधान देने वाले अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) की स्थापना इस दिशा में पहला कदम होगा। विश्वविद्यालय अन्य महाविद्यालयों, संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के साथ विशेषज्ञता साझा करेगा और संयुक्त कार्यक्रम चलाएगा। यह सहयोग कौशल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। साथ ही इससे राज्य का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क भी मजबूत होगा।

जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय में राज्य की महिलाओं के लिए सभी पाठ्यक्रमों में एक–तिहाई सीटें क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आरक्षित की जाएंगी। यह महिलाओं को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने का अवसर देगा, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। यह विश्वविद्यालय वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुकूल शिक्षा प्रणाली के निर्माण पर केंद्रित है, लेकिन इसका आधार स्थानीय जरूरतों से जुड़ा होगा। खेती, पशुपालन, बागवानी, पर्यटन, स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर यह विश्वविद्यालय बिहार की आर्थिक रीढ़ को भी सुदृढ़ करेगा।

कौशल विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा और प्रशिक्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन का प्रेरक भी होगा। यह शिक्षा, उद्यमिता, नवाचार और रोजगार के समावेशी मार्ग को प्रशस्त करेगा और बिहार को 'कौशल युक्त राज्य' की श्रेणी में अग्रणी बनाएगा।

(मनीष शंकर)
मिशन निदेशक
बिहार कौशल विकास मिशन

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएँ

बिहार की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, जबकि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध गतिविधियों का योगदान केवल 24 प्रतिशत है। इसी असमान अनुपात से जन्म लेती है– अप्रत्यक्ष बेरोजगारी जो अंततः बिहार को न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बना देती है और इसके दुष्परिणामों में प्रवासन तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह एक वैश्विक अनुभव रहा है कि सेवा क्षेत्र भले ही जी0डी0पी0 में अधिक योगदान कर ले, एक बड़ी आबादी को नौकरियाँ तो औद्योगिक क्षेत्र ही देता है। कैसा रहेगा, यदि बिहार में उद्योग की राह कृषि से होकर निकले।

बिहार कृषि प्रधान राज्य तो है ही– यहाँ मखाना, लीची और आम का भी बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। इन कृषक उत्पादों का मूल्य संवर्द्धित कर दिया जाय, तो बिहार के किसानों की आय बढ़ेगी, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी और प्रवासन भी घटेगा। खादय प्रसंस्करण के मोटे तौर पर तीन उप–क्षेत्र हैं: डेयरी उत्पाद और मांस, फल और सब्जी प्रसंस्करण तथा अनाज–आधारित प्रसंस्करण।

बिहार स्टेट मिल्क कॉपरेटिव फेडरेशन प्रतिदिन लगभग 40 लाख लीटर दूध का संग्रह और प्रसंस्करण कर रहा है। परन्तु बिहार की विशाल आबादी के हिसाब से यह मात्रा बहुत कम है। यदि प्रयास किया जाये तो इस 40 लाख लीटर को 10 गुणा या 20 गुणा तक बढ़ाया जा सकता है और इसी अनुपात में इससे जुड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों की संख्या भी बढ़ायी जा सकती है। बिहार में डेयरी क्षेत्र की अवसंरचना में सुधार तो हो रहा है, पर गति बहुत धीमी है। प्रत्येक जिले में मेगा प्रोसेसिंग प्लांट की आवश्यकता है, ताकि पशुपालकों का श्रम व्यर्थ न हों और वे प्राणपण से डेयरी उद्योग से जुड़े रहें।

बिहार में मांस का व्यापार सामान्यतः घरेलू उपभोग हेतु किया जाता है और इसमें निर्यात की संभावनाओं पर विचार नहीं किया जाता। अब जबकि बिहटा का स्थलीय बंदरगाह के रूप में उपयोग प्रारंभ हो चुका है, हमें मांस उत्पादन के संपूर्ण परिदृश्य का अवलोकन करने और तदनुरूप योजनायें बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। संयुक्त अरब अमीरात से भारत का मुक्त व्यापार समझौता है, अन्य खाड़ी देशों से भी हमारे संबंध मधुर है। उन देशों के मांस व्यापार और बाजार पर यूरोपीय देशों का बहुत हद तक कब्जा है। भारत सरकार बिहार का उपयोग इस बाजार को 'टैप' करने के लिए कर सकती है– बशर्ते पशुपालन से लेकर मांस के प्रसंस्करण और निर्यात तक एक संगठित श्रृंखला बने और इसका भी बिहार स्टेट मिल्क कॉपरेटिव फेडरेशन (कॉम्फेड) की तर्ज पर ही विकास हो।

केन्द्रीय बजट 2025–26 में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई, जो स्वागतयोग्य कदम है। वर्तमान में कुल उत्पादन का बहुत कम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों मे निर्यात किया जा रहा है, साथ ही मखाना का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी कम है जिसके लिए मखाना क्रांति की आवश्यकता है। साथ ही बड़ी संख्या में मखाना हेतु मिनी प्रोसेसिंग प्लांट और प्रमुख उत्पादक जिलों में मेगा प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की जरूरत है। यही स्थिति आम और लीची के साथ भी है। उत्पादन के समय भंडारण की प्रर्याप्त सुविधा उपलब्ध करा दी जाये, तो किसानों को इसका अच्छा मूल्य मिलेगा, जिससे उत्पादकों का रुझान बढ़ेगा। आवश्यकता है एक संगठित तंत्र की, जो आम और लीची इत्यादि उत्पादों के अधिकांश उत्पादन को मात्र कच्चा माल ही न रहने दे, उसे प्रसंस्कृत उत्पाद में बदले और अंतर्राज्यीय तथा अंतर्देशीय बाजारों तक इसकी तेज पहुँच हो।

कुल मिलाकर यह कि नौकरियों के प्रति अत्यधिक रुझान वाले बिहार में भारत का ही नहीं, विश्व का खाद्य प्रसंस्करण हब बनने की क्षमता है। यदि उत्पादक, निर्माता और निर्यातक की त्रयी को बढ़िया से जोड़ दिया जाये, तो 10–15 वर्षों में बिहार, भारत का ग्रोथ इंजन बन सकता है, और हमारे युवाओं को विस्थापन का दंश भी नहीं झेलना होगा।

बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में रोजगार की अंतर्निहित संभावनायें विपुल हैं, जो धीरे–धीरे अपना रहस्य उद्घाटित करेंगी। आवश्यकता तो इस बात की है कि घरेलू उपयोग के साथ–साथ निर्यात पर फोकस किया जाये, गंतव्य देशों के उद्यमियों को बिहार में आमंत्रित कर यहाँ के कृषि उत्पादों से व्यापक रूप से परिचित कराया जाये, युवाओं के मार्गदर्शन को द्वितीयक नहीं, प्राथमिक गतिविधि के तौर पर चिहिन्त और क्रियान्वित किया जाये और लाभ का अधिकांश हिस्सा उत्पादक को मिले।

यह हर्ष का विषय है कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने के 200 से भी अधिक प्रस्ताव मिले हैं। खगड़िया में मेगा फूड पार्क और कई जगहों पर कोल्ड स्टोरेज परियोजनायें प्रगति पर हैं। निःसंदेह, खाद्य संस्करण बिहार की तस्वीर को बदल सकता है, और करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर उपलब्ध करा सकता है।

(नितीश कुमार सिन्हा)
सहायक निदेशक (नियोजन)

कॅरियर प्रबंधन में नवीन तकनीक का प्रयोगः ऑनलाइन पोर्टल एवं कृत्रिम बुद्धिमता संचालित प्लेटफॉर्म

आज के इस तेजी से बदलते युग में जहां संचार की सभी दूरियां इंटरनेट के माध्यम से सिमट के मात्र एक मोबाईल में आ गई है वहीं कृत्रिम बुद्धिमता ने जीवन के अन्य क्षेत्र जैसे मनोरंजन, डाटा संधारण एवं विश्लेषण, खरीदारी इत्यादि को इतना सुगम बना दिया है कि अब मनुष्य को अपने आवश्यकता के अनुसार फैसला लेने के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं रह गई है।

ऐसे में जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव, जैसे युवावस्था, जहां हर छात्र को अपने कॅरियर को चुनने का समय आता है तो वह अपने अनुमान और किसी अन्य के अनुभव के आधार पर नहीं बल्कि डिजिटल टूल्स और कृत्रिम बुद्धिमता की सहायता से अधिक सटीक और स्मार्ट तरीके से अपने कॅरियर का चुनाव कर सकता है। कॅरियर प्रबंधन में यह तकनीक प्रचलित हो रही है। लगभग सभी बड़े रोजगार प्रदाता जैसे–गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक जैसी वैश्विक कंपनियाँ इसे अपने नियोजन कोषांग (placement cell) में इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही दूसरी और रोजगार इच्छुक अभ्यर्थी भी इसे कॅरियर प्रबंधन और कौशल विकास में बढ़–चढ़कर उपयोग में ला रहे हैं।

आज लगभग सभी प्रकार की रिक्तियां चाहे वह सरकारी हों अथवा निजी क्षेत्र की सभी की सूचना, आवेदन प्रक्रिया अथवा परिणाम घोषणा आदि के लिए हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित वह किसी न किसी प्रकार से इंटरनेट से जुड़ा है। कॅरियर की क्षेत्र की बात करें तो लगभग सभी सरकारी नौकरियों के विज्ञापन प्रकाशन से लेकर आवेदन प्रक्रिया और परिणाम की घोषणा तक इंटरनेट के माध्यम से ही हो रही हैं।

ऑनलाइन पोर्टल्सः कॅरियर की खोज एवं प्रबंधन अब एक क्लिक दूर

ऑनलाइन पोर्टल ने कॅरियर की दुनिया को इस प्रकार से पारदर्शी बना दिया है कि अब किसी भी क्षेत्र में अवसरों की तलाश करना उतना ही आसान है जितना कि एक सर्च बार में कोई शब्द टाईप करना। भारत सरकार द्वारा संचालित एकीकृत कॅरियर प्रबंधन पोर्टल नेशनल कॅरियर सर्विस (www.ncs.gov.in) कॅरियर से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करता है।

भारत सरकार द्वारा संचालित Vidya Lakshmi Portal (www.vidyalakshmi.co.in), Vidyasaarathi Portal (www.vidyasaarathi.co.in) और National Scholorships Portal (www.scholarships.gov.in) शिक्षा ऋण, छात्रवृत्ति तथा शिक्षा के वित्तीय प्रबंधन संबंधी समस्याओं के लिए एकल खिड़की समाधान प्रदान करते हैं।

- **विस्तृत नौकरी डेटाबेसः** पोर्टल्स जैसे–LinkedIn, Glassdoor और Naukri.com लाखों नौकरियों की जानकारी देते हैं, जिन्हें स्थान, अनुभव और कौशल के अनुसार देखा जा सकता है।
- **रिज्यूमे विल्डरः** कृत्रिम बुद्धिमता सहायता प्राप्त टूल्स से पेशेवर रिज्यूमे बनाना अब मिनटों का काम है।
- **कॅरियर मार्गदर्शनः** ब्लॉग्स, विडियो और लाइव सेशन्स से उपयोगकर्ता को उद्योग विशेषज्ञों से सीखने का मौका मिलता है।
- **सीखने का अवसरः** पोर्टल पर ही स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी उपलब्ध है, जो कॅरियर को नई दिशा दे सकते हैं।

VIDYA LAKSHMI
Fulfilling Educational Aspirations

एआई संचालित प्लेटफॉर्मः कॅरियर सलाहकार अब डेटा–संचालित :

कृत्रिम बुद्धिमता ने कॅरियर प्रबंधन को एक नई परिभाषा दी है। यह तकनीक न केवल आपके प्रोफाइल को समझती है, बल्कि आपके लिए वास्तविक समय में सबसे उपयुक्त कॅरियर विकल्प भी सुझाती है। कृत्रिम बुद्धिमता का प्रयोग कर निम्नलिखित सहायता प्राप्त की जा सकती है :–

- **व्यक्तिगत सुझावः** प्लेटफॉर्म जैसे VMock और Relevel आपके कौशल, रुचियों और लक्ष्यों के आधार पर कॅरियर विकल्पों की सिफारिश करते हैं।

- **स्किल गैप एनालिसिस:** यह तकनीक बताती है कि किसी विशेष भूमिका के लिए आपके पास कौन–से कौशल कम हैं और उन्हें कैसे विकसित किया जा सकता है।

National Career Service
सही अवसर, सही समय
Right Opportunities, Right Time

- **इंटरव्यू सिमुलेशन:** कृत्रिम बुद्धिमता आधारित इंटरव्यू प्रैक्टिस टूल्स से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं।
- **बाजार–आधारित अपडेट्स:** जैसे ही किसी क्षेत्र में मांग बदलती है, कृत्रिम बुद्धिमता प्लेटफॉर्म अपने सुझावों को उसी अनुसार अपडेट करते हैं।

स्मार्ट कॅरियर की ओर एक कदम :

कॅरियर प्रबंधन अब केवल योजना बनाने का नाम नहीं, बल्कि एक रणनीतिक और तकनीकी प्रक्रिया बन चुका है। ऑनलाईन पोर्टल और कृत्रिम बुद्धिमता प्लेटफॉर्म ने इस क्षेत्र को इतना सुलभ और व्यक्तिगत बना दिया है कि हर व्यक्ति अपने सपनों के कॅरियर की दिशा में आत्मविश्वास से कदम बढ़ा सकता है। तकनीक का सही उपयोग कॅरियर को न केवल दिशा देते हैं, बल्कि उसे गति भी प्रदान करता है।

(सुमित कुमार सिंह)
जिला नियोजन पदाधिकारी

“कर्ज से मुक्ति और बेटी की खुशियों में मुस्कान” अनीता देवी की कहानी

अकोढ़ीगोला की अनीता देवी, पति राज कुमार राम जो हेल्पर का काम करती हैं, लंबे समय से तंगहाली और चिंता में जी रही थीं। उनकी दूसरी बेटी की शादी 23 मई 2025 को तय हुई थी। घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, आमदनी रोज की जरूरतें पूरी करने में ही खत्म हो जाती थी। बेटी की शादी जैसे बड़े आयोजन के लिए उनके पास कुछ भी संचित नहीं था। मजबूरी में उन्होंने कर्ज लिया, लेकिन ब्याज और उधारी का बोझ दिन–रात उन्हें बेचैन किए रहता था।

इन्हीं हालातों के बीच अनीता देवी को बिहार सरकार की विवाह सहायता योजना के बारे में पता चला। श्रम संसाधन विभाग, बिहार के अंतर्गत चल रही इस योजना ने उनकी उम्मीदों को नया सहारा दिया। वे अकोढ़ीगोला प्रखंड कार्यालय पहुँचीं, जहाँ पदाधिकारियों ने उन्हें पहले श्रम कार्ड बनाने की सलाह दी। इस पर अनीता देवी ने कहा कि मैंने तो वर्ष 2014 में हीं निबंधन कराया है और कार्ड को पदाधिकारियों को दिखाया। तब अधिकारियों ने विवाह सहायता राशि हेतु ऑनलाइन आवेदन करने में मदद की।

ऑनलाइन आवेदन के कुछ ही दिनों बाद, 22 जुलाई 2025 को विभागीय अधिकारी उनके घर पहुँचे और जाँच की। सब कुछ सही पाए जाने पर योजना का लाभ स्वीकृत हुआ और अनीता देवी के खाते में सीधे 50 हजार रुपये की राशि आई। यह मदद उनके लिए जीवन बदल देने वाली साबित हुई।

इस सहायता से उन्होंने तुरंत अपना कर्ज चुकता कर दिया। सबसे बड़ी राहत यह रही कि पैसा सीधे बैंक खाते में आया, जिससे वे किसी भी तरह के दलालों और बिचौलियों से बच गईं। इससे खुश अनीता देवी आज कहती हैं–"सरकार की इस योजना ने मेरी चिंता दूर कर दी। मेरी बेटी का घर भी बस गया और मेरा कर्ज भी उतर गया। यह मदद मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं। इसके लिए मैं बिहार सरकार की आभारी हूँ।"

(रिपुसूदन मिश्रा)
सहायक श्रमायुक्त

बिहार के हुनरमंद युवाओं के लिए "मेगा जॉब फेयर 2025" लेकर आया रोजगार की बहार

बिहार सरकार द्वारा "सशक्त युवा, समृद्ध बिहार" के निश्चय को साकार करने की दिशा में दिनांक 10 जुलाई से 15 जुलाई, 2025 तक दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन केन्द्र, पटना में वृहद् पैमाने पर "मेगा जॉब फेयर 2025" का आयोजन किया गया। इसका मूल उद्देश्य था – राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रेरित करना और उन्हें देश–दुनिया की अग्रणी कंपनियों के साथ जोड़ना।

इस जॉब फेयर में राज्यभर के 68,459 युवाओं ने QR कोड आधारित प्रणाली से पंजीयन कराया, जिसमें से 12,124 युवा कार्यक्रम में उपस्थित हुए। देश–विदेश की 80+ कंपनियों की भागीदारी से वैकेंसी विभिन्न पदों पर युवाओं के लिए प्रस्तुत की गईं। इसका प्रभावशाली परिणाम यह रहा कि 3,990 युवाओं को जॉब ऑफर भी प्राप्त हुआ – जिसमें MNCs, MSMEs और स्टार्ट–अप्स जैसे विविध क्षेत्रों की कंपनियां शामिल थीं।

"मेगा जॉब फेयर 2025" की सबसे बड़ी उपलब्धि रही, नालंदा के रोहित कुमार गुप्ता को जापान स्थित AIESH कंपनी में ₹24 लाख प्रति वर्ष के पैकेज पर नौकरी मिलना। यह बिहार के कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके साथ ही खगड़िया के राजकुमार, पटना के रिहान, मुस्कान कुमारी और लखीसराय के सुमन कुमार को दुबई में ₹11–12 लाख के पैकेज पर नियुक्ति मिली। इन जॉब ऑफर्स ने यह सिद्ध किया कि बिहार के युवा अब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं।

यह जॉब फेयर पूरी तरह से पेपरलेस (Paperless) रहा, जिसमें QR कोड आधारित रजिस्ट्रेशन से लेकर ऑन–साइट इंटरव्यू तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित थी। युवाओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में इंटरव्यू की सुविधा दी गई, जिससे दूर–दराज के क्षेत्र के प्रतिभागी भी अपने संसाधनों की सीमाओं के बावजूद अवसर का लाभ उठा सके। इस तकनीक–सक्षम मॉडल ने "डिजिटल फर्स्ट" रोजगार संस्कृति को नई दिशा दी।

जॉब फेयर ने न केवल युवाओं को नौकरी के नए अवसर प्रदान किए, बल्कि उद्योगों और कंपनियों को भी बिहार के प्रतिभाशाली कार्यबल से परिचित कराया। इससे राज्य में निवेश की संभावना और उद्योग सहभागिता को बल मिला है। इस आयोजन ने बिहार

को कौशल–आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया है और राज्य को "नॉर्थ इंडिया का स्किल हब" बनाने के लक्ष्य की नींव को मजबूत किया है।

बिहार के युवाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि उन्हें सही मंच और अवसर मिलें, तो वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं। यह आयोजन बिहार की कौशल नीति, डिजिटल पहल और औद्योगिक साझेदारी का सशक्त उदाहरण बन गया है। "मेगा जॉब फेयर 2025" महज़ एक रोजगार मेला नहीं, बल्कि युवाओं की आशा, आत्मबल और संभावनाओं का उत्सव था।

(अतुल रंजन)

पीआर टीम, बिहार कौशल विकास मिशन

श्रम को मिला सम्मान

बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कर कमलों से श्रम संसाधन विभाग के ''बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड'' (BOCW बोर्ड) द्वारा वार्षिक वस्त्र सहायता योजनान्तर्गत के तहत कुल 802 करोड़ 46 लाख 45 हजार रुपए का अंतरण बिहार के 16 लाख से ज्यादा श्रमिकों के खाते में किया गया।

उक्त अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना" के वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। यह योजना प्रदेश के युवाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करेगा, यह नई पहल सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि रोजगार और सम्मान की दिशा में बिहार सरकार का ठोस संकल्प है। इस पोर्टल के ज़रिए अब राज्य के प्रशिक्षित युवाओं को MSME, सार्वजनिक उपक्रमों और

सरकारी संस्थानों में इंटर्नशिप, नियोजन और आर्थिक सहायता का त्वरित व पारदर्शी लाभ मिलेगा।

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत वर्ष 2020 में वार्षिक वस्त्र सहायता योजना अधिसूचित की गयी थी। इसके अन्तर्गत निबंधित निर्माण श्रमिकों को एकमुश्त सहायता राशि रु० 2,500/– दिये जाने का प्रावधान था। उक्त राशि को संशोधित कर वार्षिक वस्त्र सहायता योजना अन्तर्गत उत्क्रमित करते हुए रु० 5,000/– किया गया है।

इस दौरान उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री सम्राट चौधरी, माननीय उपमुख्यमंत्री, बिहार और श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय उपमुख्यमंत्री, बिहार शामिल हुए। अध्यक्षता श्री संतोष कुमार सिंह, माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा की गयी।

स्वच्छ जीवन, सुरक्षित भविष्य : WASH क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार की संभावनाएं

श्रम संसाधन विभाग, बिहार अंतर्गत संचालित बिहार कौशल विकास मिशन (BSDM) और यूनिसेफ़ के संयुक्त तत्वावधान में 03 सितंबर, 2025 को पटना के होटल चाणक्य में "स्वच्छ जीवन, सुरक्षित भविष्य" विषय पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य (WASH) क्षेत्र में कौशल विकास की आवश्यकता और उससे जुड़ी रोजगार संभावनाओं पर विस्तृत विमर्श करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ श्रम संसाधन विभाग, बिहार के सचिव–सह– BSDM

के सी. ई. ओ. श्री दीपक आनन्द, यूनिसेफ़ की मुख्य क्षेत्रीय अधिकारी मार्गरेट ग्वाडा और CIMP के निदेशक डॉ. राणा सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिला पंचायत के सी. ई. ओ. अग्रिम कुमार भी जुड़े और उन्होंने "वाश ऑन व्हील" अभियान की विस्तृत जानकारी और कार्य योजना साझा की।

बिहार सरकार की पहल और सचिव का संबोधन

अपने संबोधन में सचिव, श्री दीपक आनन्द ने कहा कि बिहार ने "जल–जीवन–हरियाली", "सात निश्चय", "हर घर–नल का जल" और "स्वच्छ भारत मिशन" जैसे अभियानों के जरिए उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जल और स्वच्छता की स्थिति में सुधार, केवल बेहतर स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक अवसरों और महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित करने में भी अहम है। उन्होंने कहा कि WASH से जुड़े व्यावसायिक कौशल विकास से युवाओं के लिए हरित रोजगार (Green Jobs) के अवसर तैयार होंगे और BSDM इस दिशा में विशेष प्रयास कर रहा है।

यूनिसेफ़ की दृष्टि और युवाओं की भूमिका

कार्यशाला में यूनिसेफ़ बिहार की मुख्य क्षेत्रीय अधिकारी मार्गरेट ग्वाडा ने कहा कि बिहार की सबसे बड़ी ताक़त इसकी युवा आबादी है। यदि युवाओं को जल, स्वच्छता और हाईजीन से जुड़े आधुनिक कौशल में प्रशिक्षित किया जाए तो बिहार पूरे देश के लिए एक मॉडल बन सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वच्छता और जल प्रबंधन केवल तकनीकी चुनौती नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का भी हिस्सा है।

पैनल चर्चा और विशेषज्ञों के विचार

कार्यशाला के दौरान आयोजित पैनल चर्चा में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, जीविका और अन्य साझेदार संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि WASH प्रणालियों की स्थिरता के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों का मज़बूत कैडर तैयार करना आवश्यक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल तकनीकी दक्षता जैसे प्लंबिंग, राजमिस्त्री, बिजली और सफाई सेवाएँ ही पर्याप्त नहीं होंगी, बल्कि प्रबंधकीय कौशल भी उतना ही जरूरी है।

समुदाय आधारित दृष्टिकोण और स्थानीय स्वामित्व

विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि समुदाय–आधारित दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है, ताकि स्थानीय हितधारक सेवाओं का स्वामित्व लेकर उनका दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित कर सकें। इससे न केवल अवसंरचना का सही रख–रखाव होगा बल्कि लोगों में ज़िम्मेदारी और जागरूकता भी बढ़ेगी।

कौशल विकास और रोजगार के अवसर

चर्चा में यह सर्वसम्मति बनी कि कौशल विकास को रोजगार अवसरों से जोड़ना बेहद जरूरी है। यदि प्रशिक्षित युवाओं को कार्यबल में शामिल कर सतत आजीविका के अवसर दिए जाएं तो यह पहल अधिक प्रभावी होगी। उद्योग विभाग, BSDM और निजी क्षेत्र की साझेदारी इस दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

भविष्य की राह

कार्यशाला के दौरान विमर्श से निकली यह पहल तभी सफल होगी, जब नीति–निर्माण से लेकर कार्यान्वयन तक समाज के सभी वर्ग सक्रिय भागीदारी निभाएँ। "स्वच्छ जीवन, सुरक्षित भविष्य" केवल एक नारा नहीं, बल्कि बिहार के सतत विकास की दिशा में बढ़ाया गया एक ठोस कदम है। WASH क्षेत्र में कौशल विकास की यह पहल न केवल युवाओं के लिए रोजगार का मार्ग खोलेगी बल्कि समाज को स्वच्छ, स्वस्थ और सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

तरुण रंजन
(मीडिया प्रभारी)

निर्माण श्रमिकों के लिए पूर्व शिक्षा की मान्यता कार्यक्रम (Recognition of Prior Learning) अन्तर्गत कौशल उन्नयन

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत लगभग 33 लाख निर्माण श्रमिक निबंधित है एवं लंबे अर्से से इन श्रमिकों के कौशल उन्यन्न एवं प्रमाणीकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, ताकि श्रमिकों को और अधिक रोजगारोन्मुख बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017 में बोर्ड द्वारा औजार क्रय अनुदान योजना प्रारंभ की गयी थी। इस योजना अन्तर्गत निबंधित निर्माण कामगार को बोर्ड द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षणोपरान्त उनके प्रशिक्षण से संबंधित व्यवसाय का औजार क्रय करने हेतु रू0 15,000/– दिये जाने का प्रावधान था, परन्तु बोर्ड के द्वारा विगत वर्षों में किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सका। अतः निबंधित निर्माण श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सका।

इन्हीं सब विषयों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा पूर्व शिक्षा की मान्यता कार्यक्रम (Recognition of Prior Learning) अन्तर्गत निबंधित निर्माण श्रमिकों का कौशल उन्यन्न आरंभ किया जा रहा है।

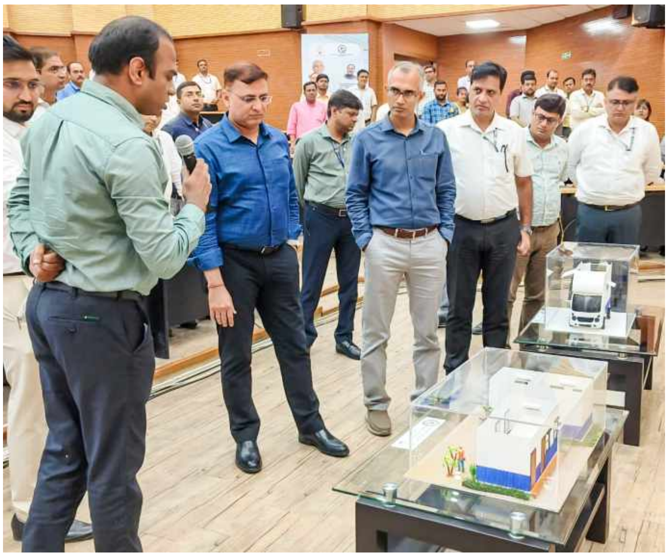

पूर्व शिक्षा की मान्यता कार्यक्रम (Recognition of Prior Learning) के निम्न फायदे है :–

1. **औपचारिक मान्यता**– अनुभव के माध्यम से अर्जित कौशल का औपचारिक प्रमाणन हो सकेगा।
2. **बेहतर रोजगार क्षमता**– कुशल एवं दक्ष कामगार और अधिक रोजगारोन्मुख होंगे एवं उन्हें श्रम का उचित मूल्य प्राप्त होगा।
3. प्रशिक्षणोपरान्त निबंधित निर्माण श्रमिकों को बोर्ड की औजार क्रय अनुदान योजना से अच्छादित किया जा सकेगा।

सर्वप्रथम कुल 06 व्यवसायों यथा–बार बेन्डिंग, मेसनरी, कारपेन्ट्री, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल तथा पेंटिंग में निर्माण श्रमिकों को 120 घंटो का उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण के उपरान्त श्रमिकों का मूल्यांकन कर उनका प्रमाणीकरण किया जायेगा। सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम नियोजक के परिसर में जहाँ निर्माण कार्य सम्पादित हो रहा हो अथवा ऐसी जगह जहाँ किसी आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा हो, में सम्पादित होगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं शाम को चाय एवं अल्पाहार दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त श्रमिकों को रू0 35 प्रति घंटे की दर से क्षतिपूर्ति (Wage Loss) का भुगतान भी किया जायेगा।

बोर्ड के द्वारा अगले तीन वर्षों में लगभग 1 लाख 50 हजार श्रमिकों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से अच्छादित करने का निर्णय लिया गया है।

निर्माण कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधित कार्यशाला

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)- जापान बहुपक्षीय परियोजना द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित दो दिवसीय कार्यशाला का दिनांक–03 एवं 04 सितम्बर को मौर्या होटल, पटना में आयोजन किया गया जिसमें प्रमुख श्रमिक संगठनो, उद्योगों एवं निर्माण कार्य से जुड़े एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए श्रम संसाधन विभाग के सचिव श्री दीपक आनंद ने बिहार के निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा एवं कल्याण से संबंधित बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं एवं प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए बिहार सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया ।

कार्यशाला में विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा श्री ओतोजीत क्षेत्रिम्यूम, फेलो, वी0वी0 गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्री सूयोसी कावाकामी, ओ0एस0एच0 विशेषज्ञ, आई0एल0ओ0, सुश्री हिजीन आ्ह, क्षेत्रीय प्रबंधक, आई0एल0ओ0, सुश्री बैशाली लहरी, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट समन्वयक आई0एल0ओ0 इत्यादि द्वारा भाग लिया गया।

सरकारी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्वचालित सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन की सुविधा

बिहार सरकार राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु उन्हें कौशल प्रशिक्षण एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सदैव प्रयत्नशील है। श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन निदेशालय, प्रशिक्षण पक्ष द्वारा राज्य के सभी 38 जिलों में अवस्थित सरकारी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहीं छात्राओं एवं महिला कर्मियों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वचालित सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें अधिष्ठापित की गयी हैं। यह प्रयास बेहतर मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन एक स्वचालित मशीन है, जिसके माध्यम से महिलाएँ स्वच्छ एवं सुविधाजनक तरीके से समय पर आसानी से सैनिटरी पैड प्राप्त कर सकती हैं। इस पहल का उद्देश्य सरकारी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहीं छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड तक पहुँच आसान

करना है ताकि वे नियमित रूप से संस्थान में उपस्थित होकर बिना किसी असहजता के कौशल प्रशिक्षण संबंधित सभी गतिविधियों में भाग ले सकें ।

राज्य सरकार की यह अनूठी पहल सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण

संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहीं छात्राओं एवं महिला कर्मियों को मानसिक संबल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक एवं सशक्त बनाने में प्रभावी साबित होगी।

(रवि आनंद)
संयुक्त निदेशक

प्रधान संपादक की कलम से......
मेगा स्किल सेंटर-रोजगार व स्वरोजगार हेतु बिहार के युवाओं के लिए एक नई पहल

बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री के सात निश्चय–2.0 योजना के तहत राज्य के सभी 38 जिलों में मेगा स्किल सेंटर (MSC) की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को बदलते औद्योगिक परिदृश्य के अनुरूप प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार करना है। इसके माध्यम से बिहार को न केवल तकनीकी रूप से सशक्त राज्य बनाने का प्रयास है, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर भी बनाना है।

मेगा स्किल सेंटर औद्योगिक समूहों की मांग और सोच के अनुसार पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। इससे राज्य के युवाओं को आधुनिक तकनीकों जैसे AL/ML, साइबर सुरक्षा, ड्रोन टेक्नोलॉजी, नेटवर्क केबलिंग आदि में प्रशिक्षित किया जाएगा।

योजना का कार्यान्वयन 'Hub and Spoke Mode' में किया जाएगा, जिसमें हब सेंटर राज्य की राजधानी पटना में स्थित होगा और स्पोक सेंटर सभी जिलों में स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण की क्रियान्वयन अवधि 5 वर्ष रखी गई है, जिसके पश्चात अगली रूपरेखा तय की जाएगी। यह मॉडल सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक जिला में युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध हो और वे अपने ही जिले में रहकर कौशल प्राप्त कर सकें।

हब सेंटर का संचालन बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा, जबकि स्पोक सेंटर निजी उद्योगों व उनके सहयोगी संस्थानों की साझेदारी में संचालित किए जाएंगे। इससे सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों की सहभागिता सुनिश्चित होगी।

इसमें भाषा प्रशिक्षण को भी शामिल किया जाएगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय नियोजन की संभावनाएँ बेहतर हो सकें। युवाओं को विश्व कौशल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा, जिससे वे वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा दिखा सकें।

प्रथम चरण (2024–25) में पांच जिलों — दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, पटना एवं वैशाली — में प्रतिष्ठित उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे: चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय और IIM बोधगया के सहयोग से स्पोक सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अभियंत्रण कॉलेज और पॉलीटेक्निक कॉलेज की आधारभूत संरचना का उपयोग किया जाएगा।

दूसरे चरण में, राज्य सरकार स्वयं द्वारा विकसित आधारभूत संरचना में हब सेंटर संचालित करेगी, जिसमें भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण और आवश्यक मशीनों की खरीद की जाएगी। वहीं, 33 अन्य जिलों में PPP मॉडल (जन–निजी भागीदारी) के माध्यम से स्पोक सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसमें सरकार भूमि उपलब्ध कराएगी और सहयोगी संस्थाएँ भवन निर्माण सहित उपकरणों की व्यवस्था करेंगा।

इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए कुल ₹3290.22 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें ₹987.07 करोड़ राज्य सरकार द्वारा तथा ₹2303.15 करोड़ ऋण स्वरूप बाह्य स्रोतों से लिया जाएगा। योजना का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में कुल 1,13,170 युवाओं को प्रशिक्षित करना है। यह प्रयास निश्चित रूप से बिहार को एक कौशलयुक्त, आत्मनिर्भर और रोजगार केंद्रित राज्य बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना

सभी कार्य क्षेत्र विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, रोजगार सक्षमता एवं सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक–01.07.2025 को Employment Linked Incentive Scheme (ELI) स्वीकृत किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नाम दिया गया है।

- इस योजना का क्रियान्वयन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा किया जाएगा।
- दो वर्षों की अवधि में इस ELI Scheme से देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है।
- इस योजना का लाभ 01 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 के मध्य रोजगार सृजन पर लिया जा सकेगा।

इस योजना के दो भाग होंगे–

भाग– A:- पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मी को प्रोत्साहन

- पहली बार रोजगार प्राप्तकर्ता को रु 15000 तक की प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में दी जाएगी।
- एक लाख रुपये तक प्रति माह वेतन पाने वाले कर्मी इसके लाभार्थी होंगे।
- पहली किस्त सेवा के 06 माह बाद तथा दूसरी किस्त 12 माह सेवा पूरी होने तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण करने के बाद देय होगा।
- वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पोर्टल द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।
- बचत को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि का एक भाग एक निश्चित अवधि के लिए बचत योजना में रखा जाएगा और कर्मचारी द्वारा बाद में निकाला जा सकेगा।
- श्रम एंव रोजगार मंत्रालय द्वारा इसके बारे में बाद में विस्तृत निर्देश जारी किए जाएंगे।

भाग– B:- नियोजकों को प्रोत्साहन

- सभी क्षेत्रों विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए नियोजकों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- नियोजक एक लाख रूपये तक प्रति माह वेतन पाने वाले कर्मियों के संदर्भ में प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकेंगे।
- नियोजकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में निम्न तालिका के अनुसार अतिरिक्त सृजित रोजगार के लिए प्रतिमाह अधिकतम रु 3000 प्रति कर्मी उपलब्ध कराया जाएगा।

EPF वेतन फलक (अतिरिक्त कर्मचारी का)	नियोजक को लाभ (प्रति अतिरिक्त नियोजन/माह)
रु 10,000 तक	रु 1000 तक
रु 10,000 से 20,000 तक	रु 2000
रु 20,000 से अधिक (एक लाख रुपये प्रति माह वेतन तक)	रु 3000
* EPF से जुड़े कर्मचारी जो 10,000 रुपये प्रति माह तक	समानुपातिक प्रोत्साहन राशि पाएंगे।

- विनिर्माण क्षेत्र के लिए तीसरे और चौथे वर्ष के लिए भी प्रोत्साहित राशि दी जाएगी।
- कर्मचारी भविष्यि निधि संगठन (EPFO) में पंजीकृत संस्थानों को Base line से कम–से–कम दो (नियोजक, जिनके पास 50 से कम कर्मचारी हैं), 05 (नियोजक जिनके पास 50 या अधिक कर्मचारी है) अतिरिक्त कर्मी रखना वांछनीय होगा। अतिरिक्त कर्मी कम–से–कम 6 माह तक निरंतर कार्यरत होना चाहिए।

पटना स्थित महाविद्यालयों में आयोजित किया गया कॅरियर मार्गदर्शन सेमिनार

विश्वविद्यालय जीवन छात्रों के भविष्य की नींव रखने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है। इस समय छात्र केवल उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करते, बल्कि अपने जीवन की दिशा तय करने के लिए गंभीर निर्णय भी लेते हैं। आज की तेज़ी से बदलती दुनिया में, कॅरियर की राह तय करना पहले से कहीं अधिक जटिल और चुनौतिपूर्ण हो गया है। एक ओर जहाँ रोजगार के नए अवसर उभर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विकल्पों की अधिकता और प्रतिस्पर्धा के दबाव के कारण छात्र अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। अतः छात्र जीवन में कॅरियर मार्गदर्शन का विशेष महत्व है।

इसी क्रम में विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं मार्गदर्शन केंद्र (UEIGB), पटना द्वारा पटना विश्वविद्यालय अंतर्गत कुल 07 महाविद्यालयों / स्नात्कोत्तर विभागों यथा साइंस कॉलेज, बी०एन० कॉलेज, पटना विमेंस कॉलेज, मगध महिला कॉलेज, दरभंगा

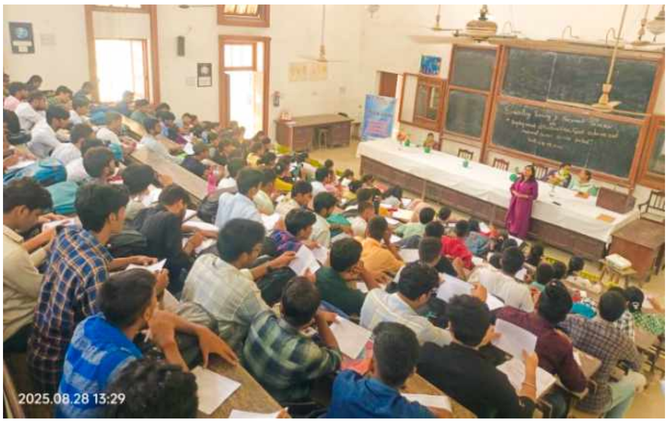

हाउस, पटना कॉलेज तथा वाणिज्य महाविद्यालय में कॅरियर मार्गदर्शन सेमिनार का आयोजन 19 अगस्त से 01 सितम्बर, 2025 के बीच सफलतापूर्वक किया गया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 700 से अधिक अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों को रोजगार योजनाओं, सरकारी पोर्टल्स तथा कॅरियर विकल्पों की जानकारी देना था, जिससे वे अपने भविष्य को लेकर जागरूक एवं आत्मनिर्भर बन सकें।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सत्रों में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। अंजलि कुमारी, नियोजन पदाधिकारी, विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं मार्गदर्शन केंद्र, पटना द्वारा UEIGB और छात्र कल्याण से संबंधित योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई, जिससे छात्रों को उपलब्ध सरकारी सुविधाओं और सहायता कार्यक्रमों के बारे में समझ मिली। निर्मला कुमारी, प्रशिक्षु रोजगार पदाधिकारी ने नेशनल कॅरियर सर्विस (NCS) पोर्टल की विशेषताओं और इसके उपयोग के तरीकों पर प्रकाश डाला, जो वर्तमान युग में रोजगार खोजने का एक महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस अवसर पर, डॉ॰ प्रो॰ एस॰ बी॰ लाल॰, प्रभारी, C,T&P प्रकोष्ठ, पटना विश्वविद्यालय ने परिचयात्मक संबोधन देते हुए परामर्श, प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट सेल की भूमिका एवं महत्त्व पर विस्तार से चर्चा की। इसके अतिरिक्त, डॉ॰ भावुक शर्मा, सदस्य, C,T&P प्रकोष्ठ ने परामर्श, प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली को समझाया और छात्रों को उपलबध संस्थानों एवं सेवाओं से अवगत कराया। अंजलि कुमारी द्वारा कॅरियर मार्गदर्शन, प्रश्नोत्तर एवं फीडबैक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों ने अपने प्रश्न पूछे और मार्गदर्शन प्राप्त किया।

कार्यक्रम के आयोजन पर महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं से सकारात्मक फीडबैक प्राप्त हुआ। छात्र–छात्राओं द्वारा ऐसे कार्यक्रम समय–समय पर आयोजित करने का अनुरोध किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में पटना विश्वविद्यालय के काउंसलिंग, प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट सेल तथा सभी संबंधित महाविद्यालयों का आवश्यक सहयोग प्राप्त हुआ।

अर्धन्यायिक कार्यवाही (Quasi-Judicial Proceeding)

भारतीय विधिक व्यवस्था में निर्णय लेने की शक्ति केवल न्यायालयों (Courts) तक सीमित नहीं है। अनेक वैधानिक निकाय, अधिकरण (Tribunals), विभागीय प्राधिकरण और कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी ऐसे निर्णय लेते हैं जो किसी व्यक्ति के अधिकार, दायित्व या हितों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। जब किसी प्रशासनिक अथवा वैधानिक प्राधिकारी को ऐसा निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है, और वह निर्णय न्यायिक सिद्धांतों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए लिया जाता है, तो इसे अर्धन्यायिक कार्यवाही (Quasi-Judicial Proceeding) कहा जाता है। श्रम कानूनों के प्रवर्तन के क्रम में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (धारा 20), उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 (धारा 7), कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (धारा 19) आदि में भी श्रम पदाधिकारियों को अर्धन्यायिक कार्यवाही के माध्यम से निर्णय लेना होता है।

परिभाषा–

अर्धन्यायिक कार्यवाही वह प्रक्रिया है जिसमें कोई प्राधिकारी, जो पूर्ण रूप से न्यायालय नहीं है, परंतु विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत कार्य करते हुए, किसी विवाद या अधिकार–कर्तव्य संबंधी मामले पर निर्णय करता है। सुप्रीम कोर्ट ने *Indian National Congress (I) v. Institute of Social Welfare (2002) 5 SCC 685* में कहा है कि– "किसी प्राधिकारी को अर्धन्यायिक तब कहा जाता है जब उसे कानून के अनुसार, विवादित तथ्यों का निर्धारण कर, न्यायिक सिद्धांतों का पालन करते हुए निर्णय लेना हो।"

अर्धन्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाही में अंतर–

अर्धन्यायिक (Quasi-Judicial) और प्रशासनिक (Administrative) कार्यवाही में मूल अंतर उनके उद्देश्य, प्रक्रिया और निर्णय लेने के तरीके में होता है। प्रशासनिक कार्यवाही मुख्यतः नीतियों को लागू करने, उसका प्रबंधन करने और सरकारी कार्यों के संचालन से जुड़ी होती है। यह प्राधिकारी के विवेक और नीतिगत प्राथमिकताओं पर आधारित होती है, और इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य नहीं होता। दूसरी ओर, अर्धन्यायिक कार्यवाही तब होती है जब किसी प्राधिकारी को कानून द्वारा यह शक्ति दी गई हो कि वह किसी विवाद या मामले में, जिसमें व्यक्तियों के अधिकार या कर्तव्य प्रभावित हो रहे हों, निर्णय करे। इसमें न्यायिक प्रक्रिया की तरह सुनवाई का अवसर देना, साक्ष्यों पर विचार करना और सकारण (speaking) आदेश पारित करना अनिवार्य होता है।

मुख्य विशेषताएँ–

1) **विधिक अधिकार**– अर्धन्यायिक कार्यवाही तभी वैध मानी जाती है जब उसका स्रोत किसी स्पष्ट वैधानिक प्रावधान, नियम या नियमानुसार जारी शक्ति में हो। यानि प्राधिकारी के पास जो अधिकार है वह मनमाना नहीं, बल्कि संसद/विधायिका या संबंधित अधिनियम द्वारा प्रदत्त होना चाहिए।

   विधिक अधिकार – (क) सीमाएँ तय करता है– प्राधिकारी क्या कर सकता है और क्या नहीं; (ख) जवाबदेही तय करता है–यदि प्राधिकारी अपनी सीमा से बाहर गया तो उसका निर्णय रद्द हो सकता है।

2) **विवाद का समाधान**– अर्धन्यायिक कार्यवाही का मूल उद्देश्य पक्षों के बीच वैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों पर

उत्पन्न विवाद का निष्पक्ष निपटारा है। यह नीति–निर्धारण या प्रशासनिक विकल्प से अलग है – यहाँ केंद्र इस बात पर होता है कि किस पक्ष का दायित्व/हक क्या है।

3) **प्राकृतिक न्याय का पालन**– प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अर्धन्यायिक कार्यवाही का आधार है। इन सिद्धांतों का अभिप्राय है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और तर्कसम्पन्न हो। यदि कोई आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर बनाया गया तो उसे न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है। नीचे इसके प्रमुख अंगों का विवरण है।

- **Audi alteram partem** — सुनवाई का अधिकार ("दूसरी पक्ष को भी सुना जाए") इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि किसी के विरुद्ध प्रतिकूल निर्णय मात्र फैसले की एकतरफा सूचना देकर नहीं लिया जा सकता। पक्षकार को पर्याप्त नोटिस देना, आरोप/आधार की प्रतियाँ उपलब्ध कराना तथा लिखित या मौखिक रूप से अपने बचाव को रखने का वास्तविक अवसर देना अनिवार्य है। सुनवाई साधारणतः ऐसी होनी चाहिए कि पक्ष अपने साक्ष्य और गवाह पेश कर सके, विरोधी साक्ष्यों पर प्रश्न कर सके, और कानूनी तर्क प्रस्तुत कर सके।

- **Nemo judex in causa sua** — निर्णयकर्ता का निष्पक्ष होना अनिवार्य– यह सिद्धांत कहता है कि जो व्यक्ति निर्णय दे रहा है, वह न तो किसी पक्ष का हितधारी हो, न ही उसके साथ ऐसा संबंध हो कि निष्पक्षता पर प्रश्न उठे। वित्तीय लाभ के मामले (financial interest), व्यक्तिगत मैत्री/शत्रुता, पूर्व निर्णय/राय जिसमें निर्णयकर्ता ने पहले ही पक्षपात दिखाया हो, आदि परिस्थिति निर्णय की निष्पक्षता को संदिग्ध बनाती है। व्यवहार में, यदि निर्णयकर्ता में ऐसी किसी चीज की उपस्थिति है तो उसे स्वयं हट जाना चाहिए या पक्ष को स्वतः यह जानकारी देनी चाहिए ताकि पक्ष आपत्ति कर सके।

4) **सकारण आदेश (Reasoned Order)**– एक अर्धन्यायिक आदेश में सिर्फ यह नहीं बताना चाहिए कि " दस गुणा मुआवजा के साथ न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाए", बल्कि उसमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन–से तथ्य स्वीकार किए गए, किन साक्ष्यों को महत्व दिया गया, किनका खंडन किया गया, और किस कानून/नियम के आधार पर ऐसा निष्कर्ष निकाला गया। सकारण आदेश के दो महत्व हैं– **पहला,** यह पक्षों को समझ देता है कि निर्णय कैसे और क्यों लिया गया और **दूसरा,** यह उच्चतर अपीलीय निकाय या न्यायालय को समीक्षा के लिए आवश्यक तथ्य देता है। आदेश में तारीख, प्रभावी प्रावधानों का उल्लेख, तर्क और अंतिम निर्देश स्पष्ट होने चाहिए — तभी वह "speaking order" कहलाता है।

5) **निष्पक्षता और पारदर्शिता**– निष्पक्षता का तात्पर्य केवल निर्णयकर्ता को बेदाग होने से ही नहीं है, बल्कि प्रक्रिया के हर चरण में पक्षों को बराबर का अवसर और समान व्यवहार से भी है। पारदर्शिता का अर्थ है–नियमों का स्पष्ट होना, नोटिस व साक्ष्य का उपलब्ध कराना, आदेशों का लिखित रूप में देना और जहाँ संभव हो, सार्वजनिक अभिलेख में रख देना। *State of U.P. v. Mohd. Nooh* (1958) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पक्षपात के आधार पर लिए गए निर्णय को रद्द कर दिया।

अर्धन्यायिक कार्यवाही की प्रक्रिया —

(1) **नोटिस जारी करना** – अर्धन्यायिक कार्यवाही की शुरुआत प्रायः नोटिस से होती है। नोटिस का उद्देश्य पक्षकार को विवाद, आरोप या प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में स्पष्ट तथा पर्याप्त जानकारी देना है ताकि वह न्यायोचित तरीके से अपनी तैयारी कर सके। एक समुचित नोटिस में आम तौर पर आरोपों का संक्षिप्त विवरण, प्रभावी कानूनी प्रावधानों का उल्लेख, साक्ष्य जो विचार के लिए रखे जाने हैं (या जिन पर निर्णय निर्भर करेगा), सुनवाई की तिथि, समय और स्थान, तथा यदि लागू हो तो अनुत्तरित रहने पर होने वाले परिणाम स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं। नोटिस को वैधानिक या नियमानुसार सही तरीके से भेजा जाना (व्यक्तिगत रूप से, रजिस्टर्ड पोस्ट, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यदि विधि अनुदेश देती है) भी आवश्यक है; यदि नोटिस अपर्याप्त या दोषपूर्ण हुआ तो बाद में जारी आदेश को रद्द किया जा सकता है। नोटिस के साथ वह सामग्री भी अनुलग्नक के रूप में प्रदान की जानी चाहिए जिस पर प्राधिकारी विचार करेगा – जैसे जाँच प्रतिवेदन, वादी से जुड़े तथ्य इत्यादि — ताकि पक्ष को प्रश्नों के प्रत्युत्तर व दलीलें तैयार करने का उचित अवसर मिल सके।

(2) **सुनवाई का अवसर** — "Audi alteram partem" के सिद्धांत के तहत सुनवाई का वास्तविक और पर्याप्त अवसर देना अनिवार्य है। यह केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि पक्षों को मौखिक या लिखित रूप से अपने तर्क, साक्ष्य और प्रतिवाद रखने का सार्थक अवसर होता है। सुनवाई में वकील अपने पक्ष का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, प्रमाण पेश कर सकते हैं और प्रतिवादी के प्रस्तुत प्रमाणों का प्रत्युत्तर दे सकते हैं। न्यायालय/प्राधिकरण आवश्यकतानुसार अग्रिम तिथि बदलने या अतिरिक्त समय देने का विवेक रख सकता है पर यह "अनुचित विलंब" में बदलना नहीं चाहिए। किसी कारणवश पक्ष अनुपस्थित रहे तो प्राधिकारी आमतौर पर एक बार और सुनवाई का मौका दे सकता है; केवल गंभीर कारणों के अभाव में एकतरफा (ex-parte) निर्णय संभव है, पर ऐसे निर्णय भी बाद में ख़ारिज (set aside) होने का कारण बन सकते हैं, यदि अनुपस्थिति के कारणों का निवारण अपीलीय प्राधिकार के समक्ष कर दिया जाए। इसलिये बेहतर होगा कि प्रतिवादी को समुचित अवसर दिया जाए और अनुपस्थिति के मामलों में कम–से–कम तीन नोटिस देने के बाद ही निर्णय लिया जाए। A.K. Kraipak v. Union of India (1969) के

मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई के लिए गए निर्णय को अवैध घोषित किया गया।

(3) साक्ष्य संकलन — अर्धन्यायिक संस्थाएँ पारंपरिक रूप से सख्त साक्ष्य–विधान (Evidence Act) के बंधन में नहीं होतीं, परन्तु न्यायशीलता और विश्वसनीयता के लिए साक्ष्यों के स्वाभाविक सिद्धांत लागू होते हैं। साक्ष्य में लिखित दस्तावेज, गवाहों के ब्यान, विशेषज्ञ के रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख आदि आते हैं। प्राधिकारी का दायित्व होता है कि वह आरोपों के पक्ष और विपक्ष के साक्ष्यों को यथार्थ रूप में संकलित करे और उन पर विचार करे। यदि किसी गवाह के बयान पर निर्णय अधारित किया जा रहा हो तो दूसरे पक्ष को उस गवाह को Cross-Examination (प्रश्नोत्तर) का मौका देना वैधानिक रूप से उचित माना जाएगा। विशेषज्ञ रिपोर्टों के मामले में रिपोर्ट तैयार करने वाले स्रोत का संपूर्ण विवरण तथा रिपोर्ट पर आपत्ति करने का अवसर देना चाहिए। अप्रस्तुत या गुप्त साक्ष्य को स्वीकार करने पर पारदर्शिता भंग होती है और आदेश कमजोर हो सकता है। Union of India v. H.C. Goel (1964) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिना ठोस साक्ष्य के लिए गए आदेश को रद्द किया गया।

(4) तर्क–वितर्क — सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को अपने वैधानिक एवं तर्कसंगत बिंदु प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। यह हिस्सा केवल तथ्यों के आदान–प्रदान तक सीमित नहीं रहती इसमें क़ानूनी औचित्य (justification), पूर्वनिर्णयों (precedents) का उल्लेख, साक्ष्यों पर तर्क और प्रतिपक्षी दावों का खंडन शामिल होता है। लिखित दलीलें (written submissions) और मौखिक तर्क दोनों महत्त्वपूर्ण होते हैं—लिखित दलीलें प्राधिकारी के अभिलेख (Record) के लिए उपयोगी होती हैं जबकि मौखिक बहस तत्काल शंकाओं का निर्वचन करती है। तर्क–वितर्क का क्रम संगठित होना चाहिए: मुख्य मुद्दे, सबूतों का मूल्यांकन, परिणाम–स्वरूप माँगी गयी राहत आदि। वादी/प्रतिवादी की अनुचित व्याकुलता, अनावश्यक विलंब या गैर–प्रासंगिक दलीलों को सीमित करने का अधिकार प्राधिकारी के पास रहता है।

(5) विचार और निर्णय — सुनवाई पूर्ण होने के बाद प्राधिकारी तथ्यों, साक्ष्यों और संबंधित कानून पर विचार करता है। यह विचार–प्रक्रिया निष्पक्ष और तर्कसंगत होनी चाहिए; निर्णय का आधार केवल अनुमानों, अटकलों या बाहरी दबाव पर नहीं होना चाहिए। आम तौर पर प्राधिकारी प्रत्येक निर्णायक तथ्य पर संक्षेप में विचार कर यह बताता है कि कौन से तथ्य स्वीकार किए गए, किन साक्ष्यों को अधिक महत्व दिया गया और किन्हें खारिज किया गया। तकनीकी मामलों में प्राधिकारी को कभी–कभी विशेषज्ञ सलाह लेने का विकल्प भी होता है, पर उस स्थिति में भी पक्षों को उस सलाह से परिचित कराने और अपनी टिप्पणियाँ देने का अवसर देना चाहिए। समय पर निर्णय देना भी आवश्यक है। अनुचित देरी से न्यायिक नुकसान और आदेश की वैधता पर प्रश्न उठ सकते हैं।

(6) सकारण आदेश जारी करना — अर्धन्यायिक आदेश "speaking order" होने चाहिए, अर्थात आदेश में केवल निष्कर्ष नहीं बल्कि निर्णय तक पहुँचने के तर्क, साक्ष्यों का संक्षिप्त उल्लेख और संबंधित कानून का विवेचन स्पष्ट रूप से होना चाहिए। सकारण आदेश से न केवल पक्षकारों को समझ आता है कि किसलिए और कैसे निर्णय लिया गया, बल्कि appellate forum को भी अपील सुनवाई करने में सहायता मिलती है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि किन प्रावधानों के आधार पर कौन–सी राहत/सज़ा/निषेधात्मक आदेश दिए जा रहे हैं तथा अपील या पुनर्विचार के लिए कौन–सा प्राधिकरण उपलब्ध है और उसकी समय–सीमा क्या है। आदेश पर तारीख और अधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। *Siemens Engineering & Manufacturing Co. v. Union of India* (1976) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कारणरहित आदेश को अवैध ठहराया गया।

(7) अपील का प्रावधान — अधिकांश अर्धन्यायिक व्यवस्थाओं में कानून अपील या पुनरीक्षण (revision) की व्यवस्था देता है—कभी सीधे उच्चतर प्रशासनिक प्राधिकारी के पास, कभी समर्पित अपीलीय न्यायाधिकरण या न्यायालयों के पास। अपील के आधार सामान्यतः क़ानून की त्रुटि, तथ्यात्मक गलत निष्कर्ष, प्रक्रिया का उल्लंघन (प्राकृतिक न्याय की अनदेखी), पक्षपात या निर्णय की असंगतता होते हैं। कई बार अपील का प्रावधान नहीं हो या अपीलीय प्राधिकार के निर्णय में विलंब हो रहा हो तो उच्च न्यायालयों के समक्ष Writ Petition दायर किया जा सकता है। अपील के दौरान अंतरिम राहत या Stay का आवेदन भी किया जा सकता है जिससे आदेश के प्रभावों को रोका जा सके।

अंततः यह प्रक्रिया कानून के शासन (Rule of Law) को सुदृढ़ करती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि सभी निर्णय वैधानिक ढांचे और न्यायसंगत सिद्धांतों के अनुरूप हों, जिससे नागरिकों का शासन प्रणाली पर विश्वास बना रहे।

डॉ० गणेश कुमार झा
सहायक श्रमायुक्त

सेंटर ऑफ एक्सलेंस योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं ने NAFED-08 में दिखाया कौशल

बिहार सरकार एवं टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से सेंटर ऑफ एक्सलेंस योजना के तहत राज्य के युवा तकनीकी कौशल से प्रशिक्षित होकर स्वर्णिम भविष्य के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। इस योजना से अंतर्गत युवा Industry 4.0 के अनुरूप अत्याधुनिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर राष्ट्रीय पटल पर खुद को स्थापित करने में सक्षम हो पा रहे हैं।

यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि सेंटर ऑफ एक्सलेंस योजना से आच्छादित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पालीगंज, पटना के विकास कुमार एवं राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, थावे, गोपालगंज की वंदना कुमारी को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद में दिनांक–01/02/2025 को आयोजित "8th National Finite Element Developers' / FEAST Users' Meet (NAFED 08)" esa FEAST software के साथ उनका प्रायोगिक अनुभव साझा करने हेतु आमंत्रित किया गया। उन दोनों प्रशिक्षुओं ने Real World Structural Modelling using FEAST along with PreWin के विषय पर अपने Presentation & Hands-On Experience से वहाँ उपस्थित गणमान्य अतिथियों, औद्योगिक पेशेवरों एवं तकनीकीविदों को प्रभावित किया।

राज्य सरकार द्वारा कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित युवा बिहार के बाहर भी विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर अपना कौशल एवं हुनर दिखा रहे हैं। यह सेंटर ऑफ एक्सलेंस योजना से आच्छादित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत युवाओं के लिए प्रेरणादायक है।

रवि आनंद
संयुक्त निदेशक

मेरी सफलता की कहानी

नाम	:	गुड्डू कुमार
आईटीआई का नाम	:	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, फारबिसगंज
व्यवसाय	:	मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स
सत्र	:	2019–2021
मोबाइल नंबर	:	9905435364

मेरा नाम गुड्डू कुमार है और मैं बिहार राज्य के अररिया ज़िले के मिर्ज़ापुर घघरी गाँव का रहने वाला हूँ। आज मैं बहुत गर्व से यह कह सकता हूँ कि मैं ITI करने के बाद भारत सरकार के अधीन ISRO रिसर्च सेंटर, हैदराबाद में तकनीशियन के रूप में कार्यरत हूँ और मेरी मासिक आय ₹50,000 है।

मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूँ। मेरे पिता श्री बीरेन्द्र मंडल किसान हैं और मेरी माता गृहिणी हैं। मेरी दो बड़ी बहनें और एक छोटी बहन है। मै अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य हूँ। हमारे परिवार में कभी भी कोई सरकारी नौकरी में नहीं गया था, लेकिन मेरा सपना हमेशा से था कि मैं सरकारी नौकरी पाकर अपने परिवार को गौरवान्वित करूँ।

वह सपना, जो कभी असंभव लगता था, केवल राजकीय आईटीआई फारबिसगंज और वहाँ के अनुदेशक व प्राचार्य की मदद से ही साकार हो सका। उनके सहयोग, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन ने मुझे सफलता की राह पर आगे बढ़ाया।

मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं इस दुविधा में था कि आगे क्या करूँ, क्योंकि आर्थिक तंगी बहुत थी। किसी ने सलाह दी कि आईटीआई में प्रवेश ले लो, लेकिन निजी आईटीआई की फीस लगभग ₹35,000 थी जिसे मैं वहन नहीं कर सकता था। तभी मुझे ITI CAT प्रवेश परीक्षा के बारे में जानकारी मिली, जिसे पास करने पर बहुत कम शुल्क में बिहार के सरकारी आईटीआई में प्रवेश मिल सकता था। मैंने परीक्षा दी, पास किया तथा 2019 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक व्यवसाय में सरकारी आईटीआई फारबिसगंज में मात्र 40 रुपये मासिक प्रशिक्षण शुल्क पर प्रवेश पा लिया। इतनी कम फीस से आर्थिक बोझ तो कम हुआ, लेकिन अन्य चुनौतियाँ सामने आईं। मेरा गाँव आईटीआई से 21 किमी दूर था और मुझे रोज़ साइकिल से आना–जाना पड़ता था जिससे काफी थक जाता था। कभी–कभी मै आने के लिए ऑटो, बस का सहारा लेता था पर उतना किराया भरना संभव नहीं था। मैने इस संबंध में प्राचार्य से बात की। मेरी स्थिति देखते हुए प्राचार्य, राजकीय आईटीआई फारबिसगंज ने मुझे बहुत कम शुल्क पर छात्रावास का कमरा उपलब्ध करा दिया जिससे मुझे सुरक्षित ठहराव और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिला। यदि यह मदद न मिली होती तो पढ़ाई जारी रखना मेरे लिए कठिन हो जाता।

आईटीआई फारबिसगंज में मुझे उत्कृष्ट प्रशिक्षण मिला। वहां के अनुदेशक एवं प्राचार्य ने मेरे कौशल और आत्मविश्वास के विकास में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल तकनीकी शिक्षा दी, बल्कि कॅरियर परामर्श, साक्षात्कार एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में भी पथ–प्रदर्शित किया इन्हीं के मार्गदर्शन से मुझे आईटीआई पूरी करने के बाद ISRO तकनीशियन भर्ती परीक्षा की जानकारी मिली।

आईटीआई पूरा करने के बाद वर्ष 2022 में मैंने ISRO तकनीशियन परीक्षा के लिए आवेदन किया और कड़ी मेहनत कर परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया। यह विश्वास करना मुश्किल था कि मेरे जैसे गरीब परिवार और छोटे से गाँव का लड़का ISRO जैसी प्रतिष्ठित संस्था में नौकरी पा सकता है।

आज मुझे गर्व है कि मुझे चंद्रयान और PSLV जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर मिलेगा। मैं अपने–आपको धन्य समझता हूँ और गर्व महसूस करता हूँ कि मैं ISRO के माध्यम से अपने देश की सेवा कर पा रहा हूँ।

मैं हमेशा राजकीय आईटीआई फारबिसगंज, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार एवं अपने प्राचार्य और अनुदेशकों का आभारी रहूँगा जिन्होंने मुझे ISRO जैसी प्रतिष्ठित संस्था में कार्य करने का सपना पूरा करने में मदद की।

धन्यवाद!

गुड्डू कुमार
(तकनीशियन, ISRO)

बिहार में लागू न्यूनतम मजदूरी की दर

भारत एक कृषि प्रधान और श्रम–प्रधान देश रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में असंगठित श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 90% कार्यबल असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। असंगठित मजदूरों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें न्यूनतम जीवन स्तर उपलब्ध कराने हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 पारित किया गया।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि किसी भी श्रमिक को उसके कार्य के बदले निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान न किया जाए। इस अधिनियम की आवश्यकता कई सामाजिक–आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुई– जैसे, श्रमिकों का शोषण रोकना, मानवीय जीवन स्तर सुनिश्चित करना, आर्थिक असमानता घटाना, उत्पादनशीलता और कार्य–क्षमता बढ़ाना, गरीबी और बेरोजगारी कम करना, श्रम बाजार का विनियमन करना, आदि।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारें कुछ अनुसूचित उद्योगों/रोजगारों में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करती हैं। यह मजदूरी वह न्यूनतम सीमा है जिससे कम भुगतान करना अवैध और दंडनीय है। बिहार सरकार द्वारा 90 नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दर अधिसूचित की गयी है। राज्य में प्रत्येक 6 माह में न्यूनतम मजदूरी की दर में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दर को जोड़कर न्यूनतम मजदूरी की दर में बढ़ोतरी की जाती है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर न्यूनतम मजदूरी के दरों का पुनरीक्षण किया जाता है (अंतिम पुनरीक्षण वर्ष 2023)। श्रमिकों की मजदूरी कुशलता के आधार पर निर्धारित किया जाता है– अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं अतिकुशल। हाल ही में बिहार सरकार ने श्रमिकों के कार्यों को कुशलता के आधार पर विस्तृत रूप से वर्गीकृत किया है।

अकुशल कार्य ऐसे कार्य हैं, जिसके निष्पादन के लिए किसी कौशल अथवा अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। **अर्धकुशल कार्य** ऐसे कार्य हैं, जिसके लिए कुछ सीमा तक कौशल अथवा दक्षता की आवश्यकता होती है, जो प्रायः कार्य–अनुभव द्वारा अर्जित की जाती है। **कुशल कार्य** ऐसे कार्य हैं, जिसके लिए कौशल या दक्षता प्राप्त करने हेतु आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं प्रशिक्षण अथवा व्यावहारिक अनुभव की आवश्यकता होती है, तथा जिसे स्वतंत्र रूप से और उचित विवेक का प्रयोग करते हुए संपादित किया जा सकता है। **अत्यधिक कुशल कार्य** ऐसे कार्य हैं, जिसमें निर्दिष्ट कार्यों के निष्पादन में उच्च स्तर की प्रवीणता और पूर्ण दक्षता की आवश्यकता होती है, जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यताओं के साथ–साथ प्रमाणन और गहन तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण, या पर्याप्त व्यावहारिक कार्य अनुभव के माध्यम से अर्जित की जाती है।

राज्य में दिनांक– 01–10–2025 से प्रभावी न्यूनतम मजदूरी की दर अकुशल श्रमिकों के लिए 428 रुपये प्रतिदिन, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 444 रुपये प्रतिदिन, कुशल श्रमिकों के लिए 541 रुपये प्रतिदिन तथा अतिकुशल श्रमिकों के लिए 660 रुपये प्रतिदिन निर्धारित है।

(गणेश कुमार झा)
सहायक श्रमायुक्त

गैर–सरकारी संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन

श्रम संसाधन विभाग ने दो प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठनों– इंटरनेशनल जस्टिस मिशन (IJM) और इंडस एक्शन – के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया है। इस MoU का

उद्येश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण हेतु स्वतंत्र हितधारकों के साथ मिलकर और अधिक सार्थक पहल करना है। यह रणनीतिक सहयोग विभिन्न प्रकार के श्रमिकों यथा – बंधुआ श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों और गिग कामगारों – के लिए बेहतर प्रवर्तन एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने का माध्यम होगा। इंटरनेशनल जस्टिस मिशन द्वारा मुख्य रूप से बंधुआ श्रमिकों की

विमुक्ति एवं पुनर्वास में विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा जबकि इंडस एक्शन द्वारा प्रवासी श्रमिकों और गिग कामगारों के लिए अपेक्षित सहयोग विभाग को प्रदान करने का संकल्प लिया गया है।

दोनों संगठनों का कार्य विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करना, जन–जागरूकता, योजनाओं का प्रचार–प्रसार, प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करना आदि होगा। इस समझौता ज्ञापन के अनुरूप कर्तव्यों का अनुपालन करने के लिए

स्वयंसेवी संगठनों को विभाग से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। यह समझौता ज्ञापन न केवल सभी श्रमिकों के लिए न्याय और सम्मान के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है, बल्कि यह उदाहरण प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार सरकार एवं स्वयं–सेवी संगठनों का सहयोग जटिल श्रम समस्याओं के लिए सार्थक समाधान की तरफ बढ़ सकता है।

समाचार–सार

- दिनांक 24 जून, 2025 को नियोजन भवन स्थित प्रतिबिंब सभागार में श्रम संसाधन विभाग, बिहार के माननीय मंत्री, श्री संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में नियोजन पक्ष के पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। साथ ही उक्त अवसर पर लैपटॉप वितरण समारोह भी संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान, निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण श्री सुनील कुमार यादव के साथ सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।

- दिनांक 1 जुलाई, 2025 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में सात निश्चय–2 के तहत बिहार के युवाओं को उन्नत कौशल, बेहतर रोजगार क्षमता, नेतृत्व विकास, सशक्त नेटवर्किंग और करियर संवर्धन के नए अवसर प्रदान करने हेतु "मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा' (CM–PRATIGYA) योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गयी।

- दिनांक 08 जुलाई, 2025 को श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना में बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW) के नूतन पोर्टल (https://bocwscheme.bihar.gov.in) का उद्घाटन किया गया।

- दिनांक 10 जुलाई, 2025 को श्रम संसाधन विभाग के सचिव श्री दीपक आनन्द द्वारा से दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना में बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा आयोजित "मेगा जॉब फेयर–2025" का उद्घाटन किया गया। यह आयोजन प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस मेला में, देश की 80 से अधिक नामचीन कंपनियों ने भाग लिया।

- विश्व युवा कौशल दिवस–2025 के अवसर पर 15 जुलाई, 2025 को दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना में बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (DET) के केंद्रीकृत पोर्टल का शुभारंभ तथा राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता हेतु पंजीयन के लिए QR कोड जारी किया गया। साथ ही, स्विंग स्टेटर (इंडिया) प्रा. लि. एवं मधुबनी पेंटिंग के लिए लवली क्रिएशन के साथ BSDM ने महत्वपूर्ण MoU हस्ताक्षर किए, जो उद्योग–आधारित प्रशिक्षण को और मजबूती प्रदान करेगा। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य भर में कुशल युवा कार्यक्रम एवं अन्य प्रमुख कोर्सों के प्रति जागरूकता फैलाना है।

- दिनांक 16 जुलाई, 2025 को ज्ञान भवन, पटना में "नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला–2025" का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन श्रम संसाधन विभाग के माननीय मंत्री श्री

संतोष कुमार सिंह तथा पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन, संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर कुशल युवा केंद्र से प्रशिक्षित युवाओं को प्रमाणपत्र, स्टडी किट एवं टूल किट प्रदान किए गए।

- मेगा जॉब फेयर में कुल 4429 अभ्यर्थियों से बायोडाटा प्राप्त हुए जिनमें से 1955 को नियोजकों द्वारा प्राथमिक रूप से शॉटलिस्ट किया गया। कुल 301 अभ्यर्थियों का आयोजन स्थल पर ही चयन किया गया। साथ ही कुल 04 विभागीय स्टॉलों द्वारा 329 अभ्यर्थियों का स्वरोजगार/ रोजगार हेतु मार्गदर्शन दिया।

- दिनांक 21 जुलाई, 2025 को नियोजन भवन के मंथन सभागार में बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार की अध्यक्षता में बाल श्रम उन्मूलनः विमुक्त एवं पुनर्वास, बाल अधिकारों की रक्षा तथा जन–जागरूकता कार्यक्रमों के पंचायत स्तर तक विस्तार पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में उपाध्यक्ष श्री अरविन्द कुमार सिंह के साथ आयोग के सदस्यगण, श्री राजेश भारती, श्रमायुक्त तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

- दिनांक 24 जुलाई को जननायक भारतरत्न कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, 2025, बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) विधेयक, 2025, बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) विधेयक, 2025 और कारखाना (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2025 को विधान मंडल से स्वीकृति प्रदान की गयी।

- दिनांक 6 अगस्त, 2025 को नियोजन भवन स्थित प्रतिबिंब सभागार में सचिव, श्रम संसाधन विभाग, श्री दीपक आनन्द की अध्यक्षता में कर्मचारी राज्य बीमा कार्यकारिणी समिति (State Executive Committee - SEC) की 8वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विशेष सचिव, श्री आलोक कुमार सहित कर्मचारी राज्य बीमा कार्यकारिणी समिति के अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। बैठक के दौरान राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन, सुधार एवं विस्तार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई।

- दिनांक 8 अगस्त, 2025 को प्रतिबिंब सभागार में गिग वर्कर्स और बंधुआ मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने एवं उनके समाज से जुड़ाव की प्रक्रिया को पारदर्शी और सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया गया। उक्त अवसर पर "जागरूकता" नामक प्रेरणादायक जिंगल का भी औपचारिक विमोचन किया गया, जिसका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों और उनके कल्याण के प्रति समाज में जनजागरण फैलाना है। इस आयोजन में श्रमायुक्त श्री राजेश भारती, इंडस एक्शन की सीओओ श्रीमती रचना अय्यर एवं इंटरनेशनल जस्टिस मिशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री अजोयवर्गीस की गरिमामयी उपस्थिति रही।

- दिनांक 14 अगस्त, 2025 को अधिवेशन भवन, पटना में राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा "आर पी एल संवेदीकरण कार्यक्रम" का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्री सुनील कुमार यादव, विशेष सचिव, श्री आलोक कुमार, श्रमायुक्त श्री राजेश भारती, अपर श्रमायुक्त श्री आदित्य राजहंस, उप श्रमायुक्त श्री रोहित राज सहित विभिन्न जिलों से आये श्रम पदाधिकारियों ने भाग लिया। उक्त अवसर पर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी क्षेत्र से जोड़ने के उद्देश्य से आईटीआई का थीमसॉग भी लांच किया गया।

● दिनांक 15 अगस्त, 2025 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में "जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय और आने वाले दिनों में लक्षित 1 करोड़ रोजगार" को प्रदर्शित करती हुयी झांकी श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निकाली गई, जिसे उपस्थित जनसमूह द्वारा काफी सराहा गया।

● 27 अगस्त, 2025 को पटना के नियोजन भवन में दूरसंचार विभाग, भारत सरकार की ओर से साइबर क्राइम/फ्रॉड नागरिक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राजीव रंजन, निदेशक सुरक्षा, बिहार, दूरसंचार मंत्रालय, भारत सरकार, आलोक कुमार, विशेष सचिव, श्रम संसाधन विभाग शामिल हुए। इस अवसर पर बताया गया कि देश में मोबाइल, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं के उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ने के साथ ही साइबर फ्रॉड के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। सभी को जागरूक एवं सतर्क रहने की आवश्यकता है।

● अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)–जापान बहुपक्षीय परियोजना द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 03 एवं 04 सितम्बर, 2025 को मौर्या होटल, पटना में आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख श्रमिक संगठनों, उद्योग, एवं निर्माण कार्य से जुड़े एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए श्रम संसाधन विभाग के सचिव, श्री दीपक आनंद ने बिहार के निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा एवं कल्याण से संबंधित बिहार बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं एवं प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए बिहार सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया ।

कार्यशाला में विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा श्री ओतोजीतक्षेत्रिम्यूम, फेलो, वी०वी० गीरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्री सूयोसीकावाकामी, ओ०एस०एच० विशेषज्ञ, आई०एल०ओ०, सुश्री हिजीन आह, क्षेत्रीय प्रबंधक, आई०एल०ओ०, सुश्री वैशाली लहरी, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट समन्वयक आई०एल०ओ० इत्यादि द्वारा भाग लिया गया।

● दिनांक 17 सितम्बर, 2025 को दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना में विश्वकर्मा पूजा के पावन अवसर पर श्रम कल्याण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार, उपाध्यक्ष श्री अरविन्द कुमार सिंह, सचिव श्री दीपक आनंद, श्रमायुक्त श्री राजेश भारती के साथ विभाग के अन्य अधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। उक्त अवसर पर बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों के बीच डमी चेक का वितरण किया गया। साथ ही विभिन्न कारखानों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कारखाना श्रमिकों के बीच पुरस्कार का वितरण भी किया गया।

श्रमिक का साथी – श्रम संसाधन विभाग

तू श्रमिक, तू ही है भारत विधाता,
तू श्रमिक, तू ही है भारत निर्माता।
तेरे आगे क्या मैं साधु, क्या मेरा अध्यात्म है,
तेरे मेहनत–कर्म के आगे सब धर्म बेकार है।

जब–जब धरा पर अंधियारा, तू ही ज्योति बनकर आया,
मेहनत की मशाल थामकर, तू ही राह दिखलाया।

न कोई भेद, न कोई जाति, तेरे श्रम में सब समान,
तू ईंटें गढ़े, तू अनाज उगाए, तू ही सच्चा भगवान।

सलाम तेरी लगन को, सलाम तेरे त्याग को,
हे भारत के निर्माता, शत्–शत् नमन तेरे श्रम को!

तू तो है सबके लिए, पर तेरे लिए कौन है?
श्रम–संसाधन नाम का तेरा एक विभाग है।
तेरे श्रम को कोटि–कोटि करता वह सम्मान है,
तेरे जन्म से मृत्यु तक, वह रखता तेरा ध्यान है।

तू मिट्टी से सोना गढ़ता, तू पत्थरों को तराशता,
तेरे ही सपनों के सहारे यह देश नित निखरता।

पर हे मेहनतकश! सुन ले अब एक बात,
तेरी मृत्यु में, तेरी चोट में, तेरे बच्चों की पढ़ाई में,
तेरी बीमारी, तेरे शोक में – तेरे साथ कौन है?

'बिहार शताब्दी योजना' साथ खड़ी मदद को आए।
'प्रवासी मजदूर अनुदान योजना' संकट में तेरा साथ निभाए।

जैसे बच्चों के लिए है CBSE-ICSE बोर्ड,
तेरे लिए कौन है?
यदि है तू निर्माण श्रमिक, तो तेरे लिए है BOCW बोर्ड,
सोलह योजनाएँ तेरे दुखों की हैं साथी।
बेटी की शादी में सहायता, प्रसूति में अनुदान,
अंतिम यात्रा में सहयोग, न हो तू अकेला जान।

उच्च शिक्षा में सहायता, पेंशन का आधार,
परिवार पेंशन से मिले तुझे बाद भी संवार।
चिकित्सा सहायता, औजार, साइकिल सहयोग,
मकान मरम्मत अनुदान से जीवन हो सरल भोग।

तू तो है सबके लिए, पर तेरे लिए कौन है?
अब भी न जाना कि मैं कौन?
मैं हूँ तेरा बस एक साथी,
नाम है "श्रम संसाधन विभाग"।
कर स्वीकार मेरे नमन को,
दे मुझे अधिवचन।

(प्रशांत राहुल)
सहायक श्रमायुक्त, सारण

श्रम संवाद

त्रैमासिक

वर्ष-1, अंक- 03, अक्टूबर से दिसम्बर, 2025

FOR MORE INFORMATION
SCAN THE QR CODE

OR VISIT AT
https://state.bihar.gov.in/labour

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना

नियोजन भवन, बेली रोड , पटना - 800001

Website : https://state.bihar.gov.in/labour/CitizenHome.html

Diksha Art & Prints
+91-9431436534
ISO: 19001:2015